



अधिशाधी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग

सीतापुर

10083157910

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन संख्या 6289 / विधि 0 खांड 0 / सीपी 05 (ओ)

दिनांक 19-08-2023

निजी नलकूप / पम्परोट हेतु निम्न उपांकताओं को उनके प्रार्थना-पत्र पर दिनांक..... के आधार पर निम्नलिखित कार्य हेतु विद्युत शक्ति की स्वीकृत एवं दबावारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	उपार्जित धनराशि का रसीद नम्बर व दिनांक	स्वीकृत शक्ति			नलकूप लेने का स्थान	विवरण
			हो पा०	वत्ती पंखा	विधा		
1	2	3	4	5	6	7	8
498	श्री रमेश कुमार सर्वतोगी श्री बृज किशोर सर्वतोगी ग्र. बी. बहारनपुर लज्जन गढ़ईटा सीतापुर	100/- 153771798 दि. 19-08-2023				उपर्युक्त	

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं कार्यांकमों से प्रतिवर्तित है।

- विजली की मात्रा शोषित होने पर कुछ समय के लिए विजली काटी जा सकती है।
- यदि उपभोक्ता स्वीकृत विधायों के अतिरिक्त गिरी अन्य गिरा से विजली का उपयोग करता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी सुन्दरी के काट दिया जायेगा।
- रोशनी के लिए ट्यूबलेट के लिए 60 वाट के दो बल्ब जलाए जा सकते हैं।
- निजी नलकूप/पम्पिंग सेट के बिल निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
 - निजी नलकूप/पम्पिंग सेट गिरी पूर्ण निर्भित राजकीय नलकूप अथवा गिरी ऐसे राजकीय नलकूप से जिराका निर्माण किया जा रहा हो 200 ग्रीटर वी दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
 - गिरी नलकूप/पम्पिंग रोट गिरी नहीं हो 100 ग्रीटर से अन्दर नहीं लगाया जायेगा जैसे यमुना नहर जैसी नहरों की दशा में जहाँ पानी कम हो तो यह प्रतिक्रिया नहीं होगा।

(अधिशाधी अभियन्ता)

दिनांक 19-08-2023

पत्रांक 6289 / विधि 0 खांड 0 / सीपी 05 (ओ)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय विद्युत वितरण उपखण्ड खेत्रावाद / मिशन / सिर्फीली।
- कम्प्यूटर विधि 0 खण्ड, सीतापुर।
- समन्वित उपभोक्ता।

(अधिशाधी अभियन्ता)